भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

वित्तीयसेवाएं वभिाग

लोक सभा

तारांकति प्रश्नसंख्या *5

(जसिका उत्तर15 दसिम्बर, 2017/24 अग्रहायण,1939 (शक) को दयिा जाना है)

राजीव गांधी शल्पिी स्वास्थ्यबीमा योजना

*5. डॉ. उदति राज:

क्या वित्तमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष2007 से 2010 के दौरान तीन वर्षोंके लएि राजीव गांधी शल्पिी स्वास्थ्यबीमा योजना के अंतर्गतप्रतविर्षलगभग 9 लाख शल्पिकारों के बीमा के लएि 190 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कयिा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय बीमा वनियिामक और वकिास प्राधकिरण ने पाया है कि एक बीमा कंपनी द्वारा फर्जीऔर अपात्रलाभार्थयिों का बीमा कयिा गया है और इस कारण उनसे 1 करोड़ रुपए का जुर्मानावसूल कयिा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चहिनति कएि गए ऐसे लाभार्थयिों की संख्या सहति फर्जीया अपात्रलाभार्थयिों की कुल संख्या का पता लगाने के लएि भारतीय बीमा वनियिामक और वकिास प्राधकिरणद्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बीमा अधनियिम, 1938 की धारा 33 के अधीन इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाईसहति तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्तमंत्री(श्रीअरुण जेटली)

(क) से (घ): एक ववरिण सदन के पटल पर रख दयिा गया है।

*****

'राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना' के संबंध में डॉ. उदित राज द्वारा पूछे गए 15 दिसम्बर, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्नसंख्या *5 के भाग (क) से (घ) के उत्तरमें उल्लिखित विवरण।

(क): वस्त्रमंत्रालयकी राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) के अंतर्गतवर्ष-वारजारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में) (लाख में)

क्रमसं.	वर्ष	स्वीकृत निधियां	नामांकित शिल्पिकारों की संख्या
1.	2007-08	67.84	8.82
2.	2008-09	79.46	10.11
3.	2009-10	67.55	8.03
कुल		**214.85**	**26.95**

(ख) और (ग): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार, वस्त्रमंत्रालय की राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अपात् लाभार्थियों सेसंबंधित एक शिकायत थी।

आईआरडीएआई ने 6-7 मई, 2013 को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (बीमाकर्ता) का निरीक्षणकिया था तथा मामले की विस्तृत जांच की थी। प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया था कि 11,445 खादी बुनकर की निवल प्रीमियम राशि 10.3 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज के साथ, जो कुल 1.18 करोड़ रुपए थी, बीमाकर्ता द्वारा वस्त्रमंत्रालयको वापस कर दी गई थी। यह पाया गया था कि योजना में उक्त 11,445 सदस्य खादी बुनकर थे जिन्हें बीमाकर्त के अनुसार श्रेणीकरणसंबधी चूक के कारण शामिल किया गया था। चूंकि खादी बुनकर को शिल्पिकार की इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शिल्पिकार नहीं माना जा सकता, इसलिए बीमाकर्ताने उक्त राशि वस्त्रमंत्रालयको वापस कर दी।

(घ): इसके अलावा, आईआरडीएआई ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ज) के अंतर्गत गहन निरीक्षणकिया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आरजीएसएसबीवाई के मामले में आरोप शामिल थे। निरीक्षणके दौरान की गई टिप्पणियों के आधार पर तथा बीमाकर्ता द्वारा किए गए निवेदन की जांच करने के पश्चात आईआरडीएआई ने 31 मार्च 2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। निर्धारितविनियामकीय उपबंधों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध 10 लाख रुपए का दण्ड लगाते हुए 03 सितम्बर, 2015 को अंतिम आदेश जारी किया गया था।

*****